दिनांक 14.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 264/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की भेंटवार्ता

आज दिनांक 14.05.2026 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में 48वें आई0पी0एस0 इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स के 10 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित Study-Cum-Cultural-Tour (SCCT) कार्यक्रम/ प्रशिक्षण के अंतर्गत **श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से शिष्टाचार भेंट की गयी।

भेंट के दौरान सर्वप्रथम प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा अपना-अपना परिचय दिया गया तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपना परिचय दिया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों में से 04 आंध्र प्रदेश कैडर, 02 कर्नाटक कैडर, 01 तेलंगाना कैडर, 01 मिजोरम कैडर व 02 मणिपुर कैडर के अधिकारी थे।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में "प्रो-एक्टिव पुलिसिंग" की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध एवं अव्यवस्था की संभावनाओं को पूर्व में चिन्हित कर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसके लिए तकनीकी संसाधनों, इंटेलिजेंस इनपुट, सामुदायिक सहभागिता एवं सतत संवाद का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील, जवाबदेह एवं त्वरित पुलिसिंग की दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ-2025 के दौरान की गयी अचूक पुलिस व्यवस्थाओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न कार्यप्रणालियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के साथ अपने अनुभव साझा किये। प्रयागराज महाकुंभ-2025 के सकुशल आयोजन के दौरान उ0प्र0 पुलिस द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक रेलवे उ0प्र0 **श्री प्रकाश डी0** द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को संक्षेप में ब्रीफ किया गया।

भेंटवार्ता के अंत में कर्नाटक कैडर की प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी श्रीमती स्नेहा पी0वी0 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित उपस्थित अधिकारियों व उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा भी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया।

इस अवसर पर **श्री बी0के0 सिंह,** पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उ0प्र0, **श्री प्रकाश डी0,** पुलिस महानिदेशक रेलवे उ0प्र0, **श्री एल0वी0 एन्टनी देवकुमार,** पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुवल, **श्री एस0के0 भगत,** अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, **श्री बी0डी0 पॉल्सन,** अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उ0प्र0, **डॉ0 संजीव गुप्ता,** अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उ0प्र0 , **श्री ए0 सतीश गणेश,** अपर पुलिस महानिदेशक यातायात उ0प्र0, **श्री प्रशान्त कुमार,** अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उ0प्र0, **श्री राम कुमार,** अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स उ0प्र0, **श्री के0एस0 इमैन्युअल,** पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक 14.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 265/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुरादाबाद/थाना नागफनी

- **घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 47 लाख 24 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन**
- **04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 कार बरामद**

दिनांक 14.05.2026 को थाना नागफनी, थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–अरशद 2–कुलदीप 3–रवि कुमार 4–निक्की 5–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 47 लाख 24 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 02 कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.05.2026 को थाना नागफनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नागफनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नागफनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरशद निवासी ग्राम मकदूमपुर थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा।

2–कुलदीप निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

3–रवि कुमार निवासी ग्राम बिजरा थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा।

4—निक्की निवासी ग्राम तिगरिया भूड थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

5—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लूटे गये 47 लाख 24 हजार रूपये नगद।

2—05 मोबाइल फोन।

3—04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

4—02 कार।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.05.2026 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कूकड़ी ग्राउण्ड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मुराद अली 2—मोनू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भीड़—भाड़ वाले स्थानो से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुराद अली निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना लकशर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2—मोनू निवासी ग्राम मिर्जा टिल्ला थाना सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.05.2026 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भेवान नहर पुल से केशरी निवादा जाने वाले मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू निवासी ग्राम रामपुर रामसहाय थाना अछल्दा जनपद औरैया।

- **जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना फ्रेंड्स कालोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कालोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुलशन उर्फ शिशुपाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सिंगरामऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिंगरामऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सन्दीप को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ अजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————